UPKU010042392026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थितः संजीव कुमार त्यागी, एस.जे.एस., Id. No. UP2018

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1239/2026**

सोनू बउम्र 23 वर्ष पुत्र अरविन्द, सा०– सेवरही, थाना– सेवरही, जिला–कुशीनगर।

––– अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ––– विपक्षी।

मु०अ०सं०– 85/2026
धारा– 108 बी०एन०एस०
थाना– सेवरही,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1–वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सोनू की ओर से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21–04–2026 को वादी मुकदमा चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा थाना सेवरही में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका बेटा विवेक श्रीवास्तव घर पर रहकर परिवार की देखभाल करता था। उसके पड़ोस के संदीप सिंह(अंकित) पुत्र प्रभुनाथ सिंह के मित्र सोनू, अंकित कुशवाहा व अभिषेक कुशवाहा उसके पुत्र को बरगलाकर उसका खाता/बैंक पासबुक /चेक, ATM अपने निजी उपयोग के लिए कुछ दिन के ब्यवसाय के लिए कहकर अपने पास ले लिए। बाद में सारे दस्तावेज का उपयोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गलत कार्य में प्रयोग करने लगे जिसकी जानकारी उसके बेटे को हुई तो उसने अपना पासबुक वापस मांगा तो संदीप द्वारा मना कर दिया गया। वह इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा तनाव में था जिसके चलने उसने कल रात 9 बजे जहर खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रार्थी निर्दोष है। उसने कोई अपराध नही किया है। अभियुक्त को रंजिशन फर्जी व झूँठे मुकदमें में फंसाया गया है। घटना दिनांक 19–04–2026 की बताई गई है प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दिनांक 21–04–2026 को दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया गया है। अभियोजन को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके ए.टी.एम./पासबुक व चेक बुक का प्रयोग कैसे हुआ तथा खाते से कितना रूपया निकला व कौन निकाला। यदि किसी के नाम से खाता है तो उसका आपरेशन खाताधारक ही कर सकता है। कोड नंबर, ए.सी.सी. नंबर व पिन नंबर सब खाता धारक के पास ही रहता है। वास्तविकता यह है कि मृतक हैवी ड्रिन्कर था तथा वह लोगों को खिलाता पिलाता व खर्च करता था तथा घर का कोई काम नही करता था। बराबर व शराब पीकर घर जाता था तो घर पर झगड़ा होता था। तथाकथित घटना के दिन से पिता द्वारा अपमानित किया गया था तथा उसे डाटा गया था जिससे वह नाराज होकर जहर खा लिया। आज कल इस तरह की घटनाएं बराबर हो रही हैं। यदि सबूत पक्ष की कहानी को सही मान लिया जाय तो ए.टी.एम./पास बुल नही देने पर मृतक या उसके पिता द्वारा पुलिस से शिकायत की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया जो घटना संदेह पैदा करती है। अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या–10456/2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए अभियुक्त को अवर न्यायालय में सत्येन्द्र कुमार अन्टिल में पारित गाइड लाइन के प्रकाश में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया। अभियुक्त की अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है। मामले में दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अपराध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अभियुक्त जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना प्रदान किए जाने की यानचा की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र विवेक श्रीवास्तव को बरगलाकर उससे उसका पासबुक, चेक व ए.टी.एम. ले लिया गया तथा उसका गलत कार्य में प्रयोग किया गया। जब मृतक द्वारा अपने पासबुक, चेक व ए.टी.एम. की मांग की गई तो देने से मना कर दिया गया जिसके कारण मृतक ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक को धोखे में रखकर उसके खाते का प्रयोग कर ब्यावयायिक लेन देन किया गया जिससे त्रस्त होकर मृतक द्वारा जहर खकर आत्महत्या किया जाना बताया गया है। मृत्यु से पूर्व मृतक द्वारा सुसाइट नोट भी लिखा जाना कथित है जिसके संबंध में केस डायरी में मृतक विवेक श्रीवास्तव का सुसाइट नोट उपलब्ध है जिसमें मृतक विवेक कुशवाहा द्वारा अभियुक्तगण सोनू, अंकित कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा व संदीप सिंह उर्फ अंकित के द्वारा मिलकर उसे बिजनेस करने का लालच देकर उसके नाम से खाता खुलवाकर पैसों का लेन देन किया जाना कथित है जिसका उल्लेख केस डायरी में भी है। केस डायरी में अंकित सुसाइट नोट में मृतक विवेक कुशवाहा द्वारा यह कहा गया है कि ''..... विश्वास के तौर पर मै अपना ए.टी.एम. अंकित कुशवाहा व सोनू को दे दिया क्योंकि वे सब

मुझ पर विश्वास बना लिए थे। .....मां अपने मोबाइल फोन से रिकार्डर ऐप में वाइस मैसेज छोड़कर जा रहा हूँ। सारी मां व पापा अब बहुत तंग कर दिया हूँ आप लोगों को। माफ कर दीजिएगा आप लोग।''

इस प्रकार अभियुक्त सोनू द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक विवेक कुशवाहा को अपने साइबर जाल में फंसाकर उससे खाता खुलवाकर उसके खाते का प्रयोग कर कई बार धनराशि निकाली गई जिसके संबंध में मृतक ने पुलिस से भी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया, जैसा कि उसके सुसाइट नोट में अंकित है। अभियुक्त सोनू द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक विवेक को साइबर जाल में इस प्रकार फंसाया गया कि वह त्रस्त होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अतः अभियुक्त सोनू की अपराध में सक्रिय भूमिका रही है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ अंकित का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04–05–2026 को निरस्त किया जा चुका है। उक्त समस्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सोनू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 08.06.2026
R.P.Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.08 14:50:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court